1998/08

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 811750

24 APR 2008

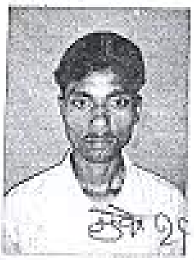

विक्रय–पत्र

विक्री — 3,81,262/–
मालियत — 54,563/–
देय स्टाम्प — 30,560/–
विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के हैं।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना व तहसील : मोहन लाल गंज
3. स्थित ग्राम : सोनई कजेहरा

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक [illegible]

मूल्य 15000/- जनरल स्टाम्प

नाम

द्वारा

स० कोषाधिकारी   मुख्य कोषाधिकारी

381262/-   54563

50001

13-5-08

13-5-08

आवेदक वील पत्र बाद सुनने ... अंक

कब रूपया 381262/- ... अनुसार पाये

उनको थे

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 611751

24 APR 2008

2

4. सम्पत्ति का विवरण	:	खसरा नं0 27 कुल रकबा 0.2820हे व खसरा सं0 20क रकबा 0.009हे0 कुल रकबा 0.2910हे0 का 1/ 2 भाग यानी कुल विक्रीत रकबा 0.1455हे0
5. मापन की ईकाई	:	हेक्टेयर।
6. संपत्ति का क्षेत्रफल	:	कुल 0.1455हे0
7. सड़क की स्थित	:	सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर
8. प्रतिफल की धनराशि	:	3,81,262/–
9. पेड़ों की सं0	:	कोई नहीं है।
10. बोरिंग/नलकूप	:	बोरिंग/नलकूप नहीं है।

चौहद्दी भूमि खसरा नं0 27

पूरब	–	भूमि खसरा नं0 – 29
पश्चिम	–	सीमा ग्राम हसन पुर खेवली
उत्तर	–	भूमि खसरा नं0 – 26 व 30
दक्षिण	–	भूमि खसरा नं0 – 28

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....13.5.08....

मूल्य ....15000.... जनरल स्टाम्प

नाम ....[illegible]....

द्वारा ....

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

[illegible] श्री :- रामदास

पुत्र श्री मन्नालाल   मजदूरी

निवासी गोसाईंगंज [illegible] लखनऊ

[illegible] पंकज पाठक S/o [illegible] पाठक

[illegible] लखनऊ [illegible] लखनऊ

[illegible]

13-05-08

रामदास   पंकज पाठक

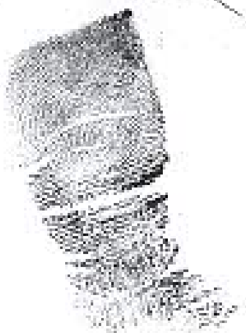

[illegible] नियमानुसार [illegible]

13-05-08

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ
24 APR 2008
E 097757
स. को. अ / कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

3

चौहद्दी भूमि खसरा नं0 20 क

पूरब	—	भूमि खसरा नं0 — 41 व 43
पश्चिम	—	भूमि खसरा नं0 — 17
उत्तर	—	भूमि खसरा नं0 — 19
दक्षिण	—	भूमि खसरा नं0 — 21 व 39

प्रथम पक्ष की संख्या —01 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष की संख्या— 01 केतागण का विवरण
सुखलाल पुत्र — अन्तू निवारी ग्राम — सोनई कजेहरा पर0 व तह0 — मोहन लाल गंज जिला — लखनऊ	मुकेश पुत्र — बिन्दा निवासीग्राम — मिर्जापुरभिठारी पोस्ट — नौगाँव तहसील व जिला — फतेहपुर

सुखलाल

मुकेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 749705

4

विक्रय–पत्र

मैं कि सुखलाल पुत्र अन्तू निवासी ग्राम सोनई कजेंहरा पर0 व तह0 – मोहनलालगंज जिला– लखनऊ का हूँ (विक्रेता)। मेरी आराजी खसरा नं0 27 कुल रकबा 0.2820हे व खसरा सं0 20क रकबा 0.009हे0 कुल रकबा 0.2910हे0 का 1/ 2 भाग यानी कुल विक्रीत रकबा 0.1455हे0 स्थित ग्राम सोनई कजेहरा परगना तहसील मोहन लाल गंज जिला लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है। षटवार्षिक खतौनी खाता नं0 00420 के अनुसार विक्रेता का नाम सकमणीय सह भूमिधर के रूप में दर्ज है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों सकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तथा उक्त जमीन पर विक्रेता का कब्जा बना हुआ है। उक्त भूमि विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई थी उक्त विक्रयशुदा भूमि समस्त प्रकार के ऋण, भार व विवाद से पाक व साफ है। विक्रयशुदा भूमि पर कोई पेड़, नहीं तथा नलकूप नहीं है। विक्रीत भूमि सड़क से 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि राजमार्ग, लिंकमार्ग, व खण्डजा के किनारे स्थित नहीं हैं।विक्रीत भूमि सामान्य ग्राम के अर्न्तगत कृषि योग्य भूमि है। जो कृषि प्रयोग हेतु क्रय की जा रही है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों , अजकिस्म, रेहान , बन्धक, इकरार , कुर्की , जमानत, हिबा, आदि से पूर्णतया पाक साफ है।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

42AA 298272

जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार हम विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि हम लोगों को रूपयों की आवश्यकता है। अतः अपनी रजामन्दी से बिना जोरदबाव नजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाइशी को बकिमती मूल्य रुपयें **3,81,262**–(रू0 तीन लाख इक्यासी हजार दा सौ बासठ) जिसके आधे 1,90,631/–रू0/– होते है। बदस्त **मुकेश पुत्र बिन्दा निवासी ग्राम मिर्जापुर भिठारी पोस्ट नौगाँव जिला फतेहपुर** को विक्रय कर दिया है। और कब्जा व दखल मालिकाना आज की तारीख से करा दिया अब हमारा विक्रीत अराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा केता उक्त भूमि की दाखिल खारिज में अपना नाम करवा लेवे। इसमें मुझको या मेरे वारिसानों को कोई उज्र न है और न कभी भविष्य में होगा ।और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी की या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत का कुल जुज भाग केता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल या कब्जा न मिले,मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भाग ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में केता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा–खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसानों व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे।

विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। और भूमि आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहां समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़, कुआ या इमारत आदि नहीं है। इस भूमि पर ट्यूबवेल/नलकूप नहीं है। विक्रीत भूमि ग्राम सौनई कजेहरा पर0 व तह0 मोहन लाल गंज जिला लखनऊ में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षे0 0.1455हे0 है। जोकि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी नियमित सर्किल रेट से बजारू मूल्य रू0 3,75,000/रू0– प्रति हे0 की दर से निर्धारित है। के हिसाब से विक्रीत भूमि की कुल बजारू मालियत रू0 54,563/– है। विक्रय मूल्य मालियत से अधिक है। इसिलिय विक्रय मूल्य पर नियमानुसार 8 प्रतिशत की दर से रू0 30,560/– के जनरल स्टाम्प अदा किये जा रहे है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता व स्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास विकास परिषद की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है। लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहन खूब सोच समझकर बिना किसी जोर जबरदस्ती व स्वस्थ मस्तिष्क के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत में काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामा का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

खसरा नं0 27 कुल रकबा 0.2820हे व खसरा सं0 20क रकबा 0.009 हे0 कुल रकबा 0.2910हे0 का 1/ 2 भाग यानी कुल विक्रीत रकबा 0.1455हे0 स्थित ग्राम सौनई कजेहरा परगना तहसील मोहन लाल गंज जिला लखनऊ

तफसील वसूलयाबी जरसमन

कुल विक्रीत मूल्य रूपया **3,81,262**–(रू0 तीन लाख इक्यासी हजार दा सौ बासठ) विक्रेता ने क्रेता से चेक सं0......200599...... दिनांकित 13/05/08 पंजाब नेशनल बैंक शाख हजरत गंज लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धन राशि विक्रीत अराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक 13/05/2008

गवाह नं. 1

राजदास
श्री मन्नालाल
मौ० डेहरा लखनऊ

ह0 विक्रेता

गवाह नं 2

पंकज पाठक
S/O हरि शंकर पाठक
लालबाग - लखनऊ

ह0क्रेता

टाईपकर्ता

(मनीष सिंह)
तह0 मोहनलालगंज,लखनऊ

मसविदाकर्ता

(श्री मुत्तीलाल)
एडवोकेट।

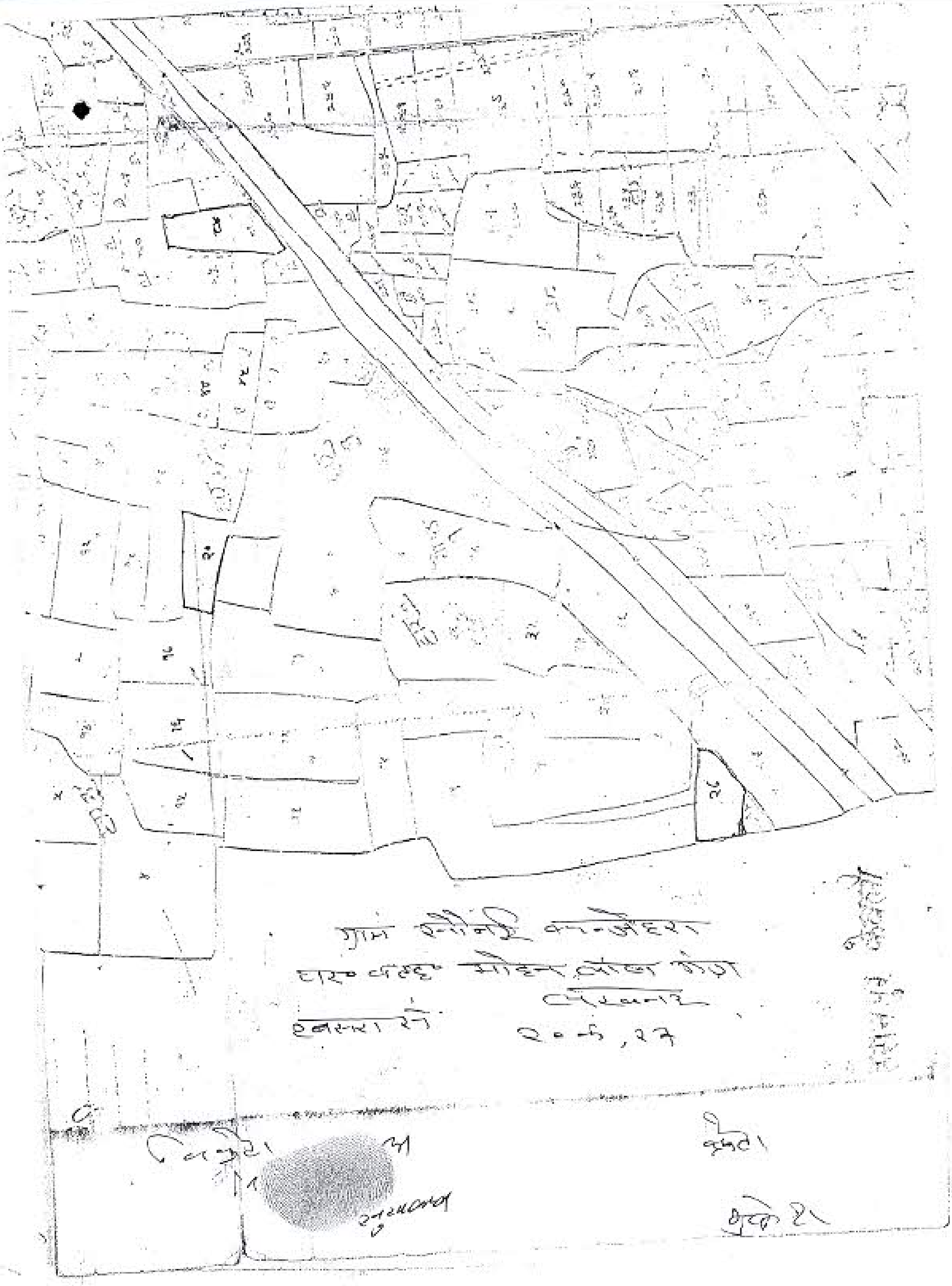

रजिस्ट्रेशन अधिनियम- 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- सुरेश लाल पुत्र [illegible] निवासी [illegible], [illegible] जिला [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

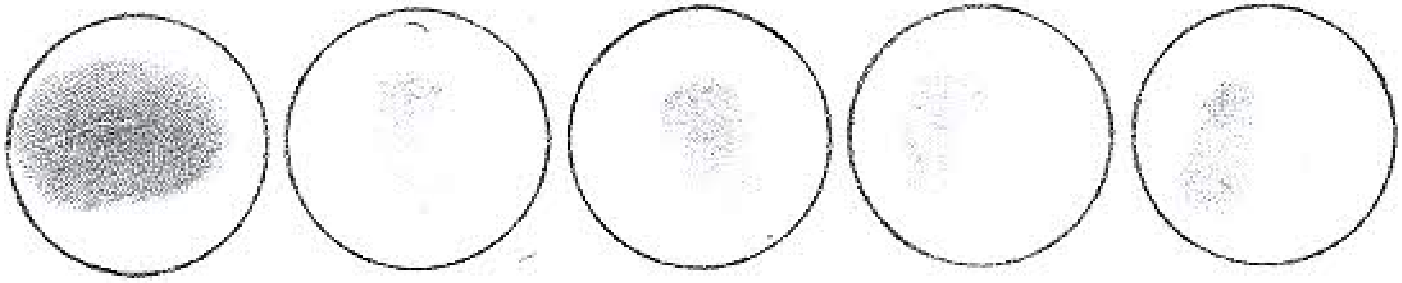

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- मुकेश पुत्र [illegible] निवासी [illegible] मौजा [illegible] तह० व जिला फतेहपुर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

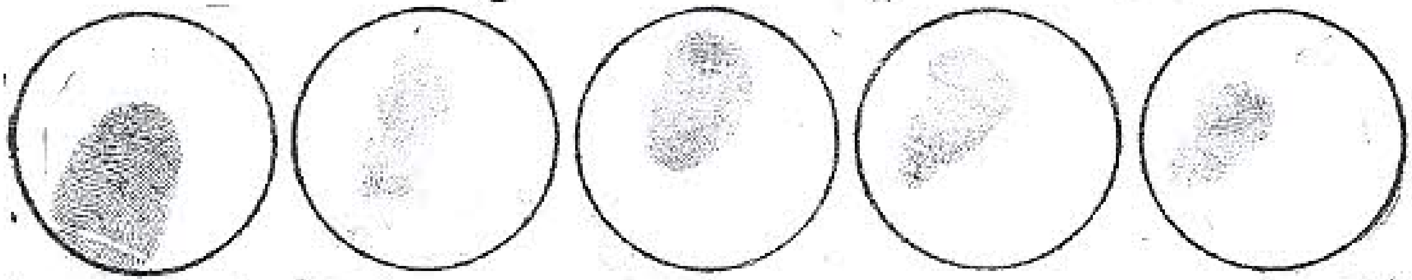

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

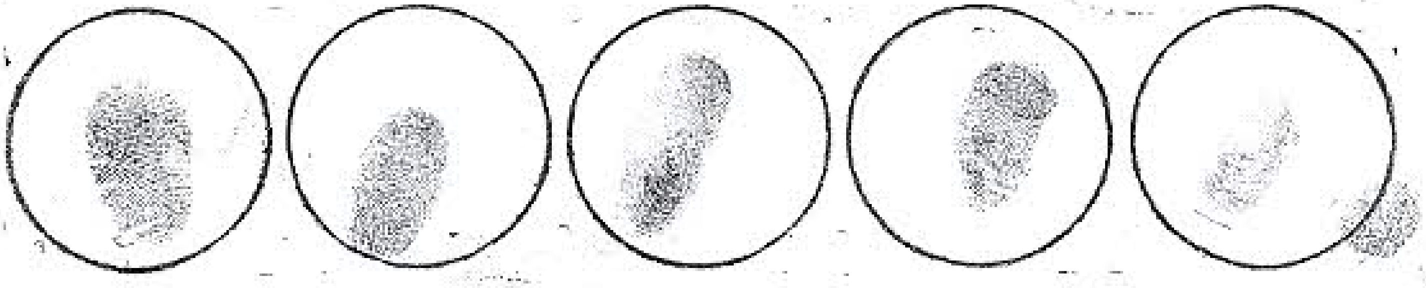

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

आज दि .... को ...
पुस्तक संख्या ....
पृष्ठ ....
रजिस्ट्रीकृत किया ...

(हस्ताक्षर)
उपनिबन्धक
मोहनलालगंज, लखनऊ